



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

फोन/फैक्स नं० - 01375-224233, E-Mail- dfobarkot@gmail.com वन मित्र कॉल सेंटर- 9208008000

पत्राक- 322 / 12-1 , दिनांक, बड़कोट, जुलाई, 31 2019।

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिचाई खण्ड, पुरोला।

विषय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत एन०एच० नगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9 से बचाणगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.346 हे० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) देहरादून की स्वीकृति संख्या-08बी/यू.सी.पी./06/86/2018/एफ.सी./671 दिनांक 26.06.2019।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्त संख्या 1 तथा 2 के अनुसार जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि मांग के अनुसार धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर जमा की गई धनराशि के चालान की प्रमाणित छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 1 से 5 तक की अनुपालन आख्या मय प्रमाण पत्रों के तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि शर्तों की अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(प्रदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(प्रदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

श्वानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत एन0एच0 नगाणगांव मोटर मार्ग के कि0मी0 9 से बचाणगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.346 हे0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अन्तर्गत प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र।
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट

क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)	ईको क्लास श्रेणी	हरियाली का घनत्व	भद का विवरण	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (हे0 में)	दर प्रति हे0 (प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक क 972/3-5-2(II) दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित दर के अनुसार)	जमा की जाने वाली आकलित धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत एन0एच0 नगाणगांव मोटर मार्ग के कि0मी0 9 से बचाणगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.346 हे0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।	1.346	5	0.2	1- एन0पी0वी0 की धनराशि 2- क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख रखाव हेतु	1.346 2.692	657000.00 प्रति हे0 306531.00	8,84,322.00 8,25,181-00	
कुल योग		रू0 सतरह लाख नौ हजार पांच सौ तीन रू0							17,09,503-00


(प्रदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।